न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 76/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/213

अनवान्

श्री रामा पिता दौलाजी जाति नाई निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर हाल निवासी कुंडिया तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

..........प्रार्थी

बनाम

श्री मिठुलाल पिता बरदीचन्द जी जाति नाई निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

श्रीमति गंगाबाई पत्नि स्व. श्री मोतीरामजी जाति नाई निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

श्री जगदीश पिता स्व. श्री मोतीरामजी जाति नाई निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

श्री मांगीलाल पिता स्व. श्री मोतीरामजी जाति नाई निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

श्रीमती शान्ति पिता स्व. श्री मोतीरामजी पत्नि श्री सागरजी जाति नाई निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................प्रतिवादीगण

परिस्थित—1. श्री श्रवण कुमार पोखरना, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांकः—30.07.2024

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि राजस्व ग्राम सालेडा पटवार हल्का सालेडा भू अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या 234 की आराजी संख्या 64, 68, 498 किता 3 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 के मौरूस दौलाजी के एकान्तिक खातेदारी एवं आधिपत्य की थी दौलाजी का निधन 1980 में हो गया।

2. प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 के मौरूस स्व. श्री दौल... निधन के पश्चात् अन्य आराजीयात के साथ वाद—पत्र की कलम संख्या एक ... नाम व विपक्षी संख्या 2 से 5 के मौरूस मोती को बराबर हक हिस्से ... हुई तथा उक्त भूमि नामान्तरणकरण ... के नाम नामान्तरण ... किया गया संख्या 320 से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 के मौरूस ... काश्त कर पैदावार ले रहे है। विपक्षी तथा तब से ही उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा होकर ... वरदीचन्द ने आपस में साठगांठ कर संख्या 2 से 5 के मौरूस मोती व प्रतिवादी संख्या 1 के मौरूस ... प्रार्थी को साआशय नुकसान कारित करने की गरज से वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:33:05 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात का सम्पूर्ण हिस्सा जो की मोती पिता दौला के नाम 1/2 हिस्से से व रामा के नाम 1/2 हिस्से से राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था का एक नुमाईंसी विक्रय विलेख जिसमे मोती ने मोतीराम के नाम से वरदीचन्द को उक्त सम्पूर्ण भूमि का बिकाव ... वादग्रस्त भूमि मे मोतीराम का 1/2 हिस्सा था तथा 1/2 हिस्सा रामा का था जो रामा पिता दौला के अकन का मोतीराम एक ही व्यक्ति बनकर प्रार्थी का भी हिस्सा ... कर नुमाईंसी विक्रय निष्पादित कर दिनांक 06.07.1983 को उपपंजियक भीण्डर के ... करवाया जो आरम्भ शुन्य होकर प्रार्थी हिस्से तक आरम्भतः शुन्य प्रभावी है और ... बिकावनामा के आधार पर राजस्व कर्मचारियो से मिलकर ग्राम सालेडा के नामान्तरणकरण 409 के आधार पर सारी भूमि वरदीचन्द ने अपने नाम से नामान्तरित करवा दी और ... हिस्से से वंचित करते हुए प्रार्थी के हिस्से को भी वरदीचन्द ने अपने नाम पर करवा लिया। ... पश्चात वरदीचन्द की भी मृत्यु हो चुकी है तथा वरदीचन्द की मृत्यु होने पर उसके पुत्र विपक्षी ... 1 मिठुलाल ने जरिये नामान्तरणकरण संख्या 1444 ग्राम सालेडा से अपने नाम नामान्तरित करवा... विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने व लडाई झगडा करने पर आमादा होने... विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 ... 5 द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। विपक्षी संख्या 1 से 5 के अनुपस्थित रहने पर इनके एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री दौला जी पिता भेरा जी नाई का निधन हो जाने के बाद यह भूमि दौला के बडे पुत्र मोतीराम के नाम विरासत से अंकित हुई और मोतीराम के छोटा भाई प्रार्थी रामलाल ... और इस भूमि मे दोनो भाईयो का हक हिस्सा था लेकिन यह भूमि बडे भाई मोतीराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित हो गयी इस पर मोतीराम ने अपने भाई प्रार्थी रामलाल को कहा कि अपनी जमीन दोनो मिलकर विक्रय कर देते है इस पर प्रार्थी रामलाल एवं मोतीराम दोनो भाई दिनांक 06.07.1983 को उप तहसील भीण्डर मे गये और चूंकि भूमि मोतीराम के नाम अंकित थी इसलिए बेहनामा मोतीराम ने क्रेता वरदीचन्द के पक्ष मे लिखा और रामलाल प्रार्थी ने इस बेहनामे पर सहमती के रूप मे पहली साख रामलाल ने दी और इसके प्रतिफल की राशि 9000/- नौ हजार रूपय प्रार्थी रामलाल एवं मोतीराम दोनो ने हिस्सा बराबर ... मोतीराम ने विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजियन करवाया ... इसके बाद प्रार्थी रामलाल की सहमती से कब्जा क्रेता वरदीचन्द को सिपुर्द किया तब से ... भाईयो ने विक्रय शुदा भूमि पर ... वरदीचन्द का निधन हो जाने से ... क्रय शुदा भूमि पर क्रेता वरदीचन्द का एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। ... पुत्र मिठूलाल विपक्षी सं. 1 का कब्जा काश्त ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:33:05 IST
Reason: SelfAttested

4. विदित रहे कि इस भूमि को विक्रय करने के बाद दोनो भाईयों ने उक्त प्रतिफल की राशि मे से ग्राम नान्दोली खुर्द तहसील मावली मे आराजी न. 460 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि दिनांक 25.05.1979 का हिस्सा बराबर से क्रय की और कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त क्रय शुदा भूमि पर दोनो भाईयो का हिस्सा बराबर से ... काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा था कि मोतीराम का निधन हो गया

उक्त दरमियान प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 5 के मौरूस मोतीराम हुए। जमाबंदी संवत 2033–36 से स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या 320 से भी दौला की विरासत मोती, रामा पिता दौला नाई के नाम खोलित हुई। जमाबंदी संवत 2036–40 मे प्रार्थनाग्रस्त भूमि श्री मोतीराम पिता दौला नाई के नाम अंकित है। जमाबंदी संवत 2033 –36 मे प्रार्थनाग्रस्त भूमि मोती, रामा पिता दौला के नाम अंकित है जबकि जमाबंदी संवत 2036–40 मे प्रार्थनाग्रस्त भूमि मोतीराम पिता दौला के नाम अंकित है। उक्त संवत की जमाबंदीयो मे अन्तर किस कारण से हुआ है ? तथा किस आधार पर अकेले प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के मौरूस द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि का बेचान किया गया है उक्त बिन्दु का इस पत्रावली मे निर्धारित नही किया जा सकता। उक्त बिन्दु का मूल वाद मे साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष निर्णित किया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :–प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

4. **सुविधा संतुलन** :–प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षी को अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 के मारूस दौला जी के नाम अंकित थी। दौला जी के निधन के पश्चात प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 के मौरूस मोती के नाम हिस्से बराबर से अंकित हुई जो की जमाबंदी 2033–36 से स्पष्ट हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को विपक्षी संख्या 2 से 5 के मारूस द्वारा एक नुमाईसी विक्रय पत्र तैयार कर मोती ने मोतीराम के नाम से वरदीचन्द को उक्त सम्पूर्ण भूमि का बिकाव कर दिया जबकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे मोतीराम का 1/2 हिस्सा था तथा 1/2 हिस्सा रामा का था जो खाते मे मोती रामा पिता दौला के अंकन का मोतीराम एक ही व्यक्ति बनकर प्रार्थी का भी हिस्सा बिकाव मे अंकित कर नुमाईसी विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया। [illegible] विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण 409 व उसके बाद नामान्तरण संख्या [illegible] द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई जिससे विपक्षी संख्या 1 [illegible] बुर्द करने पर आमादा है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा अपने जवाब मे इस बात को स्वीकार किया है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित था साथ ही यह भी बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि अकेले बडे पुत्र मोतीराम के नाम विरासत से अंकित हो गई जबकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि दोनो भाइयो का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:33:05 IST
Reason: SelfAttested

हक हिस्सा था। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थनागस्त भूमि को दोनों भाईयो ने मिलकर विक्रय किया है जिसका प्रतिफल भी दोनो भाईयो ने हिस्से बराबर में प्राप्त किया है।

6. प्रकरण में विपक्षी द्वारा अपने जवाब मे इस बात को स्वीकार किया है कि प्रार्थनागस्त आराजीयात श्री दौला पिता भेरा नाई के नाम अंकित थी जिनके निधन के पश्चात उनके वारिसान प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 5 के मोरूस मोतीराम हुये। जमाबंदी संवत 2033–36 मे स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या 320 से श्री दौला की विरासत मोती, रामा पिता दौला नाई के नाम पारित हुई। जमाबंदी संवत 2036–40 मे प्रार्थनागस्त भूमि श्री मोतीराम पिता दौला नाई के नाम अंकित हैं। जमाबंदी संवत 2033 –36 मे प्रार्थनागस्त भूमि मोती, रामा पिता दौला के नाम अंकित है जबकि जमाबंदी संवत् 2036–40 में प्रार्थनागस्त भूमि मोतीराम पिता दौला के नाम अंकित हैं। उक्त संवत् की जमाबंदीयों में खातेदार के नाम मे अन्तर किस कारण से हुआ है ? तथा किस आधार पर अकेले प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के मोरूस द्वारा प्रार्थनागस्त भूमि का बेचान किया गया हैं उक्त विन्दु को इस पत्रावली में निर्धारित नही किया जा सकता। उक्त विन्दु को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। इस पत्रावली में हमें निर्णय के लिये तीनो विन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों विन्दुओ के आधार पर निर्णय करना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के विन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किये जा चुके है। अन्य विन्दुओ को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2070–73 की ख[illegible]जी नम्बर 64, 68, 498 किता 3 रकबा 4 विघा 12 विस्वा भूमि में भू प्रबन्धन के बाद [illegible] के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति [illegible]नाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

[illegible] खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:33:05 IST
Reason: SelfAttested